

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौहान आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :- 108/2021

प्रार्थी:-

सोनाराम पुत्र सांवलराम जति जीनगर निवासी मजल तहसील समदडी जिला
बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगण:-

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार समदडी जिला बाडमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :-

1. श्री खीमाराम आकबल अधिवक्ता प्रार्थी

--: आदेश ::--

दिनांक :- 13.08.21

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के मुख्य तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा ठाकरखेडा पटवार मण्डल मजल खसरा संख्या 1128/755 रकबा 4.0469 हैक्टर की भूमि आई हुई है जिसमें प्रार्थी 1/2 हिस्सा बनता है। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी का नाम सोना पुत्र सांवल दर्ज है। प्रार्थी के सभी दस्तावेज यथा आधारकार्ड, मतदाता परिचय पत्र, राशनकार्ड व जनआधार कार्ड इत्यादि में प्रार्थी का नाम सोनाराम पुत्र सांवलराम दर्ज है। ग्राम पंचायत मजल द्वारा जारी प्रमाण पत्र में भी प्रार्थी का नाम सोनाराम पुत्र सांवलराम अंकित है। प्रार्थी को अपने खातेदारी खेतों की भूमि में सोना पुत्र सांवल नाम दर्ज होने से सरकारी सेवाओं एवं ऋण इत्यादी में भारी परेशानी रहती हैं सोना व सोनाराम नाम से दोनों ही व्यक्ति एकमात्र प्रार्थी स्वयं है जिससे राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की गई गलती को सुधार किया जाना अत्यन्त ही आवश्यक होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय श्री में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को नोटिस जारी किये गया।

विप्रार्थीगण को नोटिस तामिल सुदा प्राप्त । वादग्रस्त भूमि रहन से होने वाली शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक द्वारा सोना पुत्र सांवल के स्थान पर सोनाराम पुत्र सांवलराम दुरुस्त किये जाने हेतु अनपत्ति प्रस्तुत की गई । वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार


द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत प्रार्थी द्वारा चाहे गये इस्तदुआ प्रदान किये जाने हेतु सहमति जाहिर की।

हमने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी। प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थी का नाम राजकीय दस्तावेजात व ग्राम पंचायत मजल द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर सोना पुत्र सांवल के स्थान पर सोनाराम पुत्र सांवलराम किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का गहराई से अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजकीय दस्तावेजात यथा आधारकार्ड, मतदाता परिचय पत्र, राशनकार्ड व जनआधार कार्ड दस्तावेजात इत्यादि में प्रार्थी का नाम सोनाराम पुत्र सांवलराम दर्ज है। ग्राम पंचायत मजल द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि सोना पुत्र सांवल व सोनाराम पुत्र सांवलराम एक ही व्यक्ति है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि सरहद मौजा ठाकरखेडा पटवार मण्डल मजल खसरा संख्या 1128/755 रकबा 04.0469 हैक्टर भूमि में अंकित अशुद्ध नाम " सोना पुत्र सांवल" के स्थान पर "सोनाराम पुत्र सांवलराम" शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार समदडी आदेश की पालना एक माह में कर पालना रिपोर्ट भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 13-08-21 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड (S.D.O) सिवनी
रिजाना (बाडमेर)